रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05032022-233948
SG-DL-E-05032022-233948

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/फाल्गुन 13, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 494
No. 134]	DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 494

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सं. फा. डी.ई.4(6) (210)/स्था0–IV/2003/पार्ट–II/77.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम ;प्द्ध के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद से संबंधित सरकार की दिनांक 16/05/2013 की अधिसूचना संख्या फा. डी.ई.4(6) (210)/स्था0– IV /2003/पार्ट– I/510 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करे के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा **वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन**/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

शिक्षा निदेशालय, राष्टोय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद हेतु भर्ती नियम।

1.	**पदनाम**	:	सहायक अध्यापक (प्राथमिक)
2.	**पदों की संख्या**	:	4061* (2021) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित, समूह 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	6 टिप्पणी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 6 (35400—112400/— रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं ।
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **6 (क) महत्वपूर्ण विवरण : लागू नहीं** 6 (ख) शिथिलनीय विवरण : लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**योग्यता : अनिवार्य :** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनीयर सेकेन्डरी एवं प्राथमिक शिक्षा (जिसे किसी भी नाम से जाना जाये) में दो वर्षीय डिप्लोमा । अथवा एन0सी0टी0ई0 (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसरण में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ सीनीयर सेकेन्डरी एवं प्राथमिक शिक्षा (जिसे किसी भी नाम से जाना जाये) में दो वर्षीय डिप्लोमा । अथवा कम से कम 50प्रतिशत अंकों के साथ सीनीयर सेकेण्डरी एवं प्राथमिकी शिक्षा में चार वर्षीय स्नातक (बी0ईएल0ईडी) अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>साथ सीनीयर सेकेन्डरी एवं शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा ।
अथवा
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक एवं प्राथमिकी शिक्षा (जिसे किसी भी नाम से जाना जाये) में दो वर्षीय डिप्लोमा ।
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा स्नातक (बी0एएड)
2. केन्द्रीय सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में उत्तीर्ण
3. सेकेन्डरी स्तर पर हिन्दी या उर्दू या पंजाबी या इंगलिश एक विषय के रूप में उत्तीर्ण ।
टीप 1– आरक्षित श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /दिव्यांग से संबंधित अभ्यार्थियों को अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट अनुमत होगी।
टीप–2: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
टीप –3: जिस व्यक्ति ने किसी भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की योग्यता प्राप्त की है वे कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के छः माह के ब्रिज कोर्स करना होगा।
अनुभव :– लागू नहीं
<table><tr><td colspan="2">वांछनीय</td></tr><tr><td>योग्यता : लागू नहीं</td><td>अनुभव : लागू नहीं</td></tr><tr><td>योग्यता मानक टीप : लागू नहीं</td><td>अनुभव मानक टीप : लागू नहीं</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।</td><td>:</td><td>आयु – लागू नहीं
शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</td><td>:</td><td>दो वर्ष</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत</td><td>:</td><td><table><tr><td>पद्धति</td><td>प्रतिशत</td></tr><tr><td>सीधी भर्ती</td><td>100</td></tr></table>टीप:– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी।
क(1) नियमित आधार पर समरूप पदधारी;
ख कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नही होगी।)</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया</td><td>:</td><td>लागू नहीं
मानक टीप : लागू नहीं ।</td></tr>
</table>

	जाना है			
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समिति 1.लागू नहीं(अध्यक्ष) 2.लागू नहीं (सदस्य) 3.लागू नहीं (सदस्य) 4.लागू नहीं (सदस्य) 5.लागू नहीं (सदस्य)	विभागीय स्थाईकरण समिति 1.सचिव (शिक्षा), रा0रा0क्षे0दि0स0 – अध्यक्ष 2.निदेशक (शिक्षा), रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य 3. अपर सचिव (योजना), रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य 4. सेवा विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम न हो –सदस्य 5.अपर निदेशक (शिक्षा), रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

सिंघारे रामचन्द्रा महादेव, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 24th February, 2022

F. No. DE4(6)/(210)/E-IV/2003/PT-II/77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959, and in supersession of the Government's Notification No. F. DE 4(6)(210)/E-IV/2003/Pt.1/510 dated 16th May 2013 relating to the post of Assistant Teacher (Primary) expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with prior consultation with the Union Public Service Commission, hereby frames the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Teacher (Primary) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Assistant Teacher (Primary) Recruitment Rules,2021.

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official gazette.

2. **Number of posts, classification, Pay Band and Grade pay/Scale of pay.-** The number of the said posts, their classification and their Pay Band and Grade Pay/Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed of these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit and qualification etc.-** the method of recruitment to said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be

eligible for appointment to the said post:

Provide that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.-** Where the Government is of opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order, for reasons to the recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rule with respect to any class of category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Ex- Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

REVISED RECURITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT TEACHER (PRIMARY) IN THE DIRECTORATE OF EDUCATION, GOVT. OF NCT, DELHI.

Name of the post	**No. of posts**	**Classification**	**Pay level in the Pay Matrix**	**Whether Selection post or non selection post.**
1	2	3	4	5
Assistant Teacher (Primary)	4061(2021)* Subject to variation dependent on workload	**General Central Service** Non Ministerial Non – Gazetted Group, B	6 Remark: Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Not Applicable

Age limit for direct recruitment .	**Educational & other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotion.**	**Period of probation, if any**
6	7	8	9
Not exceeding 30 years (relaxable for govt servants upto 5yrs in accordance with instructions or orders issue by central govt.) **6 (a) Crucial description**: NA **6 (b) Relaxation** **description**: NA	**Qualification** : Essential: 1. Senior Secondary with atleast 50 Percentage marks and 2 years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from a recognized Board. OR Senior Secondary with atleast 45 Percentage marks and 2 years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) regulations 2002. OR Senior Secondary with atleast 50 Percentage marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed). OR Senior Secondary with at least 50 Percentage marks and 2 years Diploma in Education (Special Education) from recognized Board. OR `Graduation and two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from a recognized Board. OR Graduation with at least 50 Percentage marks and Bachelor of Education (B.Ed). 2. Pass in the Central Teacher Eligibility Test	**AGE**: NA **Educ. Qual**: NA	2 Years

	(CTET) conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE). 3. Must have passed Hindi or Urdu or Punjabi or English as a subject at Secondary level. **Note:1.** Relaxation upto 5 Percentage in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH. **Note: 2**. Qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note: 3**. Person who have acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher. **Experience**: NA **Desirable** **Qualification**: NA — **Experience**: NA **Qualification Standard Note**: NA — **Experience Standard Note**: NA		

Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		In case of recruitment by prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	If a Departmental Committee exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
10		11	12		13
Method	**Percentage**	Not Applicable **Standard Note:** NA	**Departmental Promotion Committee** 1.NA(Chairman) 2.NA(member) 3. NA(member) 4. NA(member) 5. NA(member)	**Departmental Confirmation Committee** 1. Secretary Education, (GNCTD) (Chairman) 2. Director Education, (GNCTD) (Member) 3. Addl. Secretary Planning, (GNCTD) (Member) 4. Representative of Services Deptt. Not below the rank of Jt. Secy. (member) 5. Addl. Director (Education), (GNCTD)	Consultation with UPSC not necessary.
Direct Recruitment	100				
Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; (b) Possessing the qualification					

and experience prescribed for direct recruits under Col. 7. (The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.)			(member)	

Note: Previous notification No.F.DE 4(6)(210)/E-IV/2003/Pt.1/510 Dated 16th May 2013.

By Order and in the Name of Lt.Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Jt. Secy. (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.05 14:17:57 +05'30'